

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
(वित्त आयोग प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 मई, 2018

अधिसूचना

क्रमांक 180/F-2017-04-04005/2018/वित्त/वि.आ.प्र.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 16/F-2017-04-04005/2018/वित्त/वि.आ.प्र., नया रायपुर, दिनांक 29 जनवरी, 2018 को अतिष्ठित करते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल में दिनांक 31 मई, 2018 से 30 सितम्बर, 2018 तक वृद्धि करते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

 29/5/18
राजेश कुमार सिसोदिया, उप सचिव

नया रायपुर, दिनांक 29 मई, 2018

क्रमांक 180/F-2017-04-04005/2018/वित्त/वि.आ.प्र.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 180/F-2017-04-04005/2018/वित्त/वि.आ.प्र., दिनांक 29-05-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

 29/5/18
राजेश कुमार सिसोदिया, उप सचिव

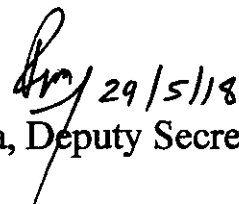
Government of Chhattisgarh
Finance Department
(Finance Commission Cell)
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Naya Raipur, Date 29th May, 2018

NOTIFICATION

No. 180/F-2017-04-04005/2018/Fin./FCC.- In exercise of the powers conferred by Articles 243-I of the Constitution of India and in supersession of this department's Notification No 16/F-2017-04-04005/2018/Fin./FCC, Naya Raipur, dated 29th January, 2018, the Governor of Chhattisgarh, hereby, extends the tenure of the State Finance Commission from 31st May, 2018 to 30th September, 2018.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,


Rajesh Kumar Sisodiya, Deputy Secretary

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,
बिलासपुर
5. श्री चन्द्रशेखर साहू, अध्यक्ष, तृतीय राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़ ।
6. श्री नरेश चंद्र गुप्ता, सदस्य, तृतीय राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़ ।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग/लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार
आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग/राज्य सूचना आयोग, रायपुर
8. समस्त निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्रीगण, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
9. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
10. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
11. सचिव वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नया रायपुर
12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
14. राज्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त
शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
16. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
17. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
18. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर/सरगुजा एवं
बस्तर, छत्तीसगढ़
19. समस्त कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती/जिला कोषालय, छत्तीसगढ़
20. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
21. संचालक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रायपुर
22. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
23. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नया रायपुर
24. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की
वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु
.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(सुरेश कुमार वर्मा)
अवर सचिव